



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F. No. 71-2/2023- रा.प्र./22

18/07/2023

परिपत्र संख्या - 09/रा.प्र.-2023-24


विषय: विश्वविद्यालय में प्रत्येक शुक्रवार को हिंदी में हस्ताक्षर करने के संदर्भ में।

संदर्भ: सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30/06/2023 को अनुमोदित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त।

राजभाषा प्रकोष्ठ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नौवीं बैठक दिनांक 23/06/2023 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में माननीय कुलपति द्वारा आह्वान किया गया कि प्रत्येक शुक्रवार को हिंदी में हस्ताक्षर करने का प्रयास किया जाए।


इस संदर्भ में, सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने संस्थान, विभाग, केंद्र और प्रकोष्ठ के कार्यालयी कार्य में हिंदी में हस्ताक्षर करने की कृपा करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. सभी अधिष्ठाता
2. छात्र कल्याण अधिष्ठाता
3. प्रोवोस्ट
4. प्रॉक्टर
5. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
6. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
7. सभी उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
8. आंतरिक कार्य विभाग
9. खेल कार्यालय
10. सभी अध्यक्ष, समन्वयक और विभागाध्यक्ष
11. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
12. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. आचार्य प्रभारी पुस्तकालय
13. सभी वार्डन
14. सभी केंद्र एवं प्रकोष्ठ
15. कुलपति सचिवालय- माननीय कुलपति के सूचनार्थ
16. अधिसूचना फाइल
15. सभी सूचना पट्ट, सेक्टर- 29 एवं 30



सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076  
Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076  
Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in

